उप सचिव
राजभवन, रायपुर

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Telephone Office : +91-771-2331162/101 Fax : +91-771-2331104, Raj Bhavan, Chhattisgarh : 492001

क्रमांक 5979/7519/2022/रास/यू– रायपुर, दिनांक 30/11/2023

प्रति,

01	कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	02	कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर, धरमपुरा–2 बस्तर
03	कुलपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अंबिकापुर सरगुजा	04	कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
05	कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, रायपुर नाका, दुर्ग	06	कुलपति, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
07	कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	08	कुलपति, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर
09	कुलपति, पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर	10	कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
11	कुलपति, दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग	12	कुलपति, पं. दीनदयालय उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, उपरवारा, नवा रायपुर
13	कुलपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नेवई, दुर्ग	14	कुलपति, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पुरखौती मुक्तांगन के पास, नवा रायपुर
15	कुलपति, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा–पाटन, दुर्ग		

विषयः– **डॉ. शकुन्तला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) में कुलपति नियुक्ति संबंधी विज्ञापन को वेबसाइट में अपलोड करने विषयक।**

डॉ. सुधीर एम. बोबडे, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से कुलपति पद पर नियुक्ति के संबंध प्राप्त पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2023 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है।

निर्देशानुसार, अनुरोध है कि कृपया डॉ. शकुन्तला मिश्रा, राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ में कुलपति हेतु राजभवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त विज्ञापन को विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि।

(एम.पी. पटेल)
उप सचिव
राजभवन, छत्तीसगढ़

(49)

ई–मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्या : ई– 8018 / जी0एस0
दिनांक : नवम्बर 22, 2023

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति की अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0) एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई–8006 / 2023, दिनांक नवम्बर 22,. 2023 (प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने सम्बन्धी निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक :– यथोपरि।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

(50)

राज भवन, लखनऊ

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई–8006 / 2023

दिनांक : नवम्बर 22, 2023

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0), जो कि डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (संख्या 1 सन् 2009) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा–27 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाध्यक्ष के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 70 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 15.12.2023 तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।